



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1268]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2011/आषाढ़ 15, 1933

No. 1268]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2011/ASADHA 15, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2011

का.आ.1537(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 10 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1174(अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना की सारणी में,—

- (i) क्रम संख्यांक 9 के सामने, स्तम्भ (2) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—  
“मैसर्स सोफिस्टीकेटिड इन्डस्ट्रियल मैटीरियल्स एनालाईटिक लैब्स प्रा. लि., ए-3/7, मायापुरी इन्डस्ट्रियल एरिया, फेज-2, नई दिल्ली-110064”
- (ii) क्रम संख्यांक 12 के सामने, स्तम्भ (3) में, क्रम सं. (1) और सं. (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—  
“(1) श्रीमती मनीषा नरगोलकर (3) श्री अनिल देओभंकर त्रिम्बक 1”;
- (iii) क्रम संख्यांक 40 के सामने, स्तम्भ (3) में, क्रम सं. (4), सं. (5) और सं. (6) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—  
“(1) श्री चेतन ए. कदम (5) श्रीमती बबिता फर्नांडीस (6) श्री मोहन पाटिल 1”;
- (iv) क्रम संख्यांक 69 के सामने, स्तम्भ (3) में, क्रम सं. (3) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—  
“(3) श्रीमती स्वाति वैभव मोर 1”;
- (v) क्रम संख्यांक 78 के सामने, स्तम्भ (2) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :—  
“(क) मैसर्स हाईटेक टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर प्रा. लि. ”;  
(ख) स्तम्भ 3 में, क्रम सं. (1) और सं. (2) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :—  
“(1) श्री एन. पी. अग्रवाल (2) श्री आर. के. सिंह 1”;

[फा. सं. क्यू-15018/7/2003-सीपीडब्ल्यू]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पण :-मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक का.आ. 1174(अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्वर्ती संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 1539(अ), तारीख 13 सितम्बर, 2007, का.आ. 1811(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2007, का.आ. 55(अ), तारीख 9 जनवरी, 2008, का.आ. 428(अ), तारीख 4 मार्च, 2008, का.आ. 865(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2008, का.आ. 1894(अ), तारीख 31 जुलाई, 2008, का.आ. 2728(अ), तारीख 25 नवम्बर, 2008, का.आ. 1356(अ), तारीख 27 मई, 2009, का.आ. 1802(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009, का.आ. 2399(अ), तारीख 18 सितम्बर, 2009, का.आ. 3122(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2009, का.आ. 3123 (अ) तारीख 7 दिसम्बर 2009 और का.आ. 142(अ), तारीख 21 जनवरी, 2010, का.आ. 619(अ), तारीख 19 मार्च, 2010, का.आ. 1662(अ), तारीख 13 जुलाई, 2010, का.आ. 2390(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2010, का.आ. 2904(अ), तारीख 8 दिसम्बर, 2010, का.आ. 181(अ), तारीख 28 जनवरी, 2011, का.आ. 692(अ), तारीख 5 अप्रैल, 2011 द्वारा किए गए ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th July, 2011

**S.O. 1537(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 12 and Section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 10 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1174(E), dated the 18th July, 2007, namely :—

2. In the Table to the said notification,—

- (i) against serial No. 9, in column No. (2), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—  
“M/s. Sophisticated Industrial Materials Analytic Labs Pvt. Ltd., A-3/7, Mayapuri Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110064”;
- (ii) against serial No. 12, in column No. (3), for the existing entries at No. (1) and No. (3), the following entries shall be substituted, namely :—  
“(1) Mrs Manisha Nargolkar (3) Mr. Anil Deobhankar Trimbak”;
- (iii) against serial No. 40, in column No. (3), for the existing entries at No. (4) No. (5) and No. (6), the following entries shall be substituted, namely :—  
“(4) Mr. Chetan A. Kadam (5) Mrs. Babita Fernandes (6) Mr. Mohan Patil”;
- (iv) against serial No. 69, in column No. (3), for the existing entry at No. (3), the following entry shall be substituted, namely :—  
“(3) Mrs. Swati Vaibhav More”;
- (v) against serial No. 78,—
  - (a) in column No. (2), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—  
“M/s. Hitech Testing and Research Centre Pvt. Ltd.”;
  - (b) in column No. 3, for the existing entries at No. (1) and No. (2), the following entries shall be substituted, namely :—  
“(1) Mr. N. P. Agarwal (2) Mr. R. K. Singh”.

[F.No. Q. 15018/7/2003-CPW]  
RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

**Note.**—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 1174 (E), dated the 18th July, 2007 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 1539 (E), dated the 13th September, 2007, S.O. 1811(E), dated the 24th October, 2007, S.O. 55(E), dated 9th January, 2008, S.O. 428(E), dated the 4th March, 2008, S.O. No. 865(E) dated the 11th April, 2008, S.O. No. 1894(E) dated the 31st July, 2008, S.O. No. 2728(E) dated the 25th November, 2008, S.O. 1356(E) dated the 27th May, 2009, S.O. No. 1802(E) dated the 22nd July, 2009, S.O. No. 2399(E), dated the 18th September, 2009 and S.O. No. 3122(E), dated the 7th December, 2009 and S.O. No. 3123(E), dated the 7th December, 2009, S.O. No. 142(E), dated the 21st January, 2010, S.O. 619(E), 19th March, 2010, S.O. No. 1662(E) dated the 13th July, 2010, S.O. No. 2390(E), dated the 30th September, 2010 S.O. No. 2904(E), dated the 8th December, 2010 and S.O. No. 181(E), dated the 28th January, 2011, S.O. No. 692(E) dated the 5th April, 2011.